



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092025-265913
CG-DL-E-03092025-265913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3927]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 3927]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4032(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कितेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-163 के कि.मी. 150.000 से कि.मी.170.400 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, परकाल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-163 के कि.मी. 150.000 से कि.मी.170.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: हनमकोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (आत्मकूर)					
गांव का नाम: नीरकुल्ला					
1	348	निजी (पट्टा)	(सूखा) कृषि भूमि	505.875 (वर्ग मीटर)	0.0505875
2	349	निजी (पट्टा)	(सूखा) कृषि भूमि	1568.21 (वर्ग मीटर)	0.156821
3	350	निजी (पट्टा)	(सूखा) कृषि भूमि	252.938 (वर्ग मीटर)	0.0252938
गांव का नाम: हाउस बुजुर्ग					
4	365	निजी (पट्टा)	(सूखा) कृषि भूमि	101.175 (वर्ग मीटर)	0.0101175
5	381	निजी (पट्टा)	(आर्द्र) कृषि भूमि	252.938 (वर्ग मीटर)	0.0252938
गांव का नाम: कटाक्षपुर					
6	137	निजी (पट्टा)	गैर कृषि भूमि	505.875 (वर्ग मीटर)	0.0505875
7	247	निजी (पट्टा)	गैर कृषि भूमि	151.763 (वर्ग मीटर)	0.0151763
8	Bila Number	सरकारी (सरकारी भूमि)	रोड	1264.69 (वर्ग मीटर)	0.126469
9	Existing Road	सरकारी (गोव्त लैंड)	एक्जिस्टिंग रोड	7486.95 (वर्ग मीटर)	0.748695
Total					1.2090414

[फा. सं. DB/TO/EE/R&B/NHW/2024-25/487 Dt 26.09.2024/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

S.O. 4032(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-163 in the stretch of land from Km.150.000 to Km.170.400 in the district of Hanamkonda in the state of

TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land. Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional officer, Parkal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling NH-163 in the stretch of land from Km.150.000 to Km.170.400 in the district of Hanamkonda in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: Hanamkonda		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Atmakur					
Village: Neerukulla					
1	348	Private (Patta)	Dry (Agriculture)	505.875 (Square Meter)	0.0505875
2	349	Private (Patta)	(Dry) Agriculture	1568.21 (Square Meter)	0.156821
3	350	Private (Patta)	(Dry) Agriculture	252.938 (Square Meter)	0.0252938
Village: House Buzurg					
4	365	Private (Patta)	(Dry) Agriculture	101.175 (Square Meter)	0.0101175
5	381	Private (Patta)	(Wet) Agriculture	252.938 (Square Meter)	0.0252938
Village: Katakshapur					
6	137	Private (Patta)	Non Agriculture	505.875 (Square Meter)	0.0505875
7	247	Private (Patta)	Non Agriculture	151.763 (Square Meter)	0.0151763
8	Bila Number	Government (Govt Land)	Road	1264.69 (Square Meter)	0.126469
9	Existing Road	Government (Govt Land)	Existing Road	7486.95 (Square Meter)	0.748695
Total					1.2090414

[F. No. DB/TO/EE/R&B/NHW/2024-25/487 Dt 26.09.2024/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director